उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

सी0सी0ए0 (जिला बदर) वाद संख्या – 24/2017

राज्य बनाम् राजेश राम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25-10-2017	–:: आदेश ::–	

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक 537/डी0सी0बी0 दिनांक 20.07.2017 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी राजेश राम, पे0–स्व0 जगदीश राम, सा0–पोड़ा गेट, सी0सी0एल0 सौन्दा, भुरकुण्डा, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा– 3(3)(क) के तहत् जिला निष्कासन करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

आज दिनांक 25.10.2017 को न्यायालय समयावधि में पुकार करने पर अभियुक्त अनुपस्थित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा– 3(3)(क) के तहत् जिला निष्कासन करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं दिनांक 04.10.2017 को अभियुक्त की ओर दायर कारण पृच्छा का अवलोकन किया।

अभियुक्त व्यावसायीयों, उद्यमियों, संवेदकों, ईट भट्ठा मालिक आदि से रंगदारी, हत्या एवं अवैध आग्नेयास्त्र रखने आदि जैसे गंभीर कण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड सं0–07/16 दिनांक 07.11.2016 धारा– 25(1–बी)ए/35 शस्त्र अधिनियम, पतरातू (बरकाकाना) थाना काण्ड सं0–182/13 दिनांक 23.08.2013 धारा–341/342/323/307/385/386/120 बी/34 भा0द0वि0, पतरातू (बरकाकाना) थाना काण्ड सं0–98/12 दिनांक 09.05.2012 धारा–385/386/387/420/467/471/120बी/34 भा0द0वि0, रामगढ़ थाना काण्ड सं0– 363/08 दिनांक 24.09.2008 धारा– 302/201/120बी/379 एवं 27 आर्म्स एक्ट, पतरातू थाना काण्ड सं0– 101/08 दिनांक 30.05.2008 धारा– 324/307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, पतरातू थाना काण्ड सं0– 80/07 दिनांक 06.04.2007 धारा– 384/307/34 भा0द0वि0 दर्ज है।

उक्त परिपेक्ष में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुसंशा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश से कुख्यात अपराधकर्मी राजेश राम, पे0–स्व0 जगदीश राम, सा0–पोड़ा गेट, सी0सी0एल0 सौन्दा, भुरकुण्डा, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(क) के तहत् **जिला निष्कासन का आदेश दिया जाता है।** आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को भेजे। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/x/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

25/x/17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।